न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर
किस्म मुकदमा : अपील सं0 36/2018 एल.आर.एक्ट धारा–75
मनोज कुमार बनाम नानकचन्द वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.7.19	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण में अभिभाषक प्रार्थी अपीलान्ट श्री बालकिशन शर्मा का कथन है कि प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेंट सं01 नानकचन्द के मध्य विवादित भूमि चक 25 जीजी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा सं0 53 के किला नं0 19 व 20 की कुल 1.05 बिस्वा रकबा का विवाद उत्पन्न होने पर उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्ट के नाम स्वीकृत बैयनामा इन्तकाल सं0 418 को निरस्त कर दिया, जिस पर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर रखी है । अब ग्राम पंचायत द्वारा उभय पक्ष का राजीनामा करवा दिया है तथा उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम रखे जाने को वैद्य रखा है, जिस पर रेस्पोन्डेंट सं01 सहमत है । रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा राजीनामा अनुसार अपीलान्ट द्वारा की गयी द्वितीय अपील स्वीकृत कराने पर अपनी सहमति प्रदान की गयी है तथा बैयनामा अनुसार पूर्ववत विवादित भूमि मनोज कुमार के नाम से रखी जाती है तो द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट राजीनामा अनुसार स्वीकार फरमाई जावे । प्रकरण में रेस्पोन्डेंट सं01 के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि राजीनामा अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है । हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण अनुसार चक 25जीजी तहसील श्रीगंगानगर के मु0 नं0 53 में 12.10 बीघा भूमि मघाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। मघाराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 10.2.1987 को मु0 नं0 53 के किला नं. 21 ता 25 की 5 बीघा भूमि बेचान करने का अपीलान्ट के साथ इकरारनामा निष्पादित किया । कालान्तर में मघाराम का देहान्त हो जाने से विक्रय विलेख नहीं हो सका। मघाराम लाऔलाद फौत हुआ । मघाराम ने अपने जीवनकाल में नोताराम पुत्र गंगाराम, फतेहचन्द पुत्र गंगाराम व उत्तमचन्द पुत्र गंगाराम रेस्पोन्डेंट सं02 के नाम से वसीयत निष्पादित कर दी गयी । जिस पर वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज होने से रेस्पोन्डेंट सं01 द्वारा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं02 श्रीगंगानगर में विक्रय संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद सं0 18/96 संस्थित किया गया । उक्त सिविल वाद विचारण के दौरान रेस्पोन्डेंट सं02 के भ्रातागण नोताराम व फतेहचन्द द्वारा किला नं0 21 ता 25 में अपने हिस्से की सीमा तक अर्थात 5बीघा में से 2/3 भाग तक विक्रय विलेख निष्पादित करवा दिया व शेष उत्तमचन्द की सीमा तक शेष 1/3 भाग का विक्रय विलेख निष्पादन की अपेक्षा में संस्थित सिविल वाद सं0 18/96 में निर्णय दिनांक 5.8.02 द्वारा किला नं0 21 से 25 में उत्तमचन्द के 1/3 हिस्से का बेचान नानकचन्द को अपने हक में करवाने का अधिकारी बताया गया । परन्तु उत्तमचन्द ने अपने हिस्से का बैयनामा अपीलान्ट मनोज कुमार को कर दिया, जो कि उसे सिविल न्यायालय की पालना में रेस्पोन्डेंट स01 नानकचन्द को विक्रय करवाना था । उत्तमचन्द के पास 0.316 हैक्टेयर शेष रकबा था, जो उसने मनोज पुत्र ताराचन्द अपीलान्ट को विक्रय कर दिया । अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि प्रकरण में अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेंट सं01 के मध्य राजीनामा हो चुका है । राजीनामा अनुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी द्वितीय अपील स्वीकृत कराने में रेस्पोन्डेंट सं01 नानकचन्द द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी है तथा बैयनामा अनुसार पूर्ववत विवादित भूमि मनोज कुमार के नाम से रखी जाती है तो द्वितीय पक्ष नानकचन्द को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट राजीनामा अनुसार स्वीकार फरमाई जावे । इस न्यायालय के समक्ष रेस्पोन्डेंट सं01 के अभिभाषक द्वारा राजीनामा अनुसार अपील स्वीकार करने में अनापत्ति कीगयी है । अतः राजीनामा अनुसार अपील अपीलान्ट प्रति–प्रेषित करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.18 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार श्रीगंगानगर को राजीनामा की प्रमाणित प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को अवलोकन किया जाकर उत्तमचन्द (मृतक) के नाम की अवशेष 0.316 हैक्टेयर कृषि भूमि, जो अपीलार्थी मनोज कुमार के बेचान की गयी, वह किलानं. 19 व 20 की होना बतायी गयी है, की रिकॉर्ड के आधार पर पुष्टि की जाकर राजीनामा की जांच करते हुए सभी पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किया जावे । तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णीत शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे तथा आदेश की प्रति के साथ राजीनामा की प्रमाणित तहसीलदार, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है । पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । सम्भागीय आयुक्त बीकानेर	